



2026:AHC:129735

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 25642 वर्ष 2026

बाबू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : नीरज कुमार चौरसिया

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत आवेदन आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाए कि वह आवेदक को एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करे और वही बंधपत्र/प्रतिभू मुकदमा अपराध संख्या 139 वर्ष 2024, धारा 394 भारतीय दण्ड संहिता, थाना तितावी, जनपद मुजफ्फरनगर; मुकदमा अपराध संख्या 264 वर्ष 2024, धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता, थाना नई मंडी, जनपद मुजफ्फरनगर; मुकदमा अपराध संख्या 160 वर्ष 2024, धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता, थाना भोपा, जनपद मुजफ्फरनगर; मुकदमा अपराध संख्या 195 वर्ष 2024, धारा 27, 25, 3 शस्त्र अधिनियम तथा धारा 317(2), 310(6), 310(4), 109(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना भोपा, जनपद मुजफ्फरनगर; मुकदमा अपराध संख्या 350 वर्ष 2024, धारा 309(6) भारतीय न्याय संहिता, थाना लोहियानगर, जनपद मेरठ; तथा मुकदमा अपराध संख्या 33 वर्ष 2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1986, थाना भोपा, जनपद मुजफ्फरनगर, इन सभी छह मामलों में वैध एवं प्रभावी माने जाएँ।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक को छह आपराधिक मामलों में जमानत प्रदान की जा चुकी है, किन्तु संबंधित न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले में दो-दो प्रतिभू प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। आवेदक की प्रत्येक छह मामलों में दो-दो प्रतिभू प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण, वह सभी छह मामलों में कई माह पूर्व जमानत प्राप्त कर लेने के बावजूद अभी भी कारागार में निरुद्ध है। अतः यह वांछनीय है कि संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाए कि वह उन सभी छह आपराधिक मामलों, जिनमें आवेदक को जमानत प्रदान की जा चुकी है, के लिए केवल दो प्रतिभूओं को स्वीकार करे। उन्होंने आगे निवेदन किया कि यदि ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया, तो आवेदक कारागार से रिहा नहीं हो सकेगा तथा उसके पक्ष में पूर्व में पारित जमानत आदेश निष्प्रभावी हो जाएँगे। आवेदक के पक्ष में दिनांक 18.11.2024, 18.07.2025, 14.08.2025, 28.10.2025, 09.04.2026 तथा 22.05.2026 को पारित जमानत आदेश इस आवेदन के साथ संलग्नक संख्या-2 के रूप में संलग्न किए गए हैं।
4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने यद्यपि प्रार्थना का विरोध किया, तथापि उन्होंने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि प्रतीत होता है कि आवेदक उन छह मामलों में, जिनमें उसे जमानत प्रदान की जा चुकी है, प्रत्येक मामले के लिए दो-दो प्रतिभू प्रस्तुत करने में असमर्थ है। अतः संबंधित न्यायालय को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वह सभी छह मामलों में केवल दो प्रतिभूओं को स्वीकार करे, जिससे आवेदक जमानत पर रिहा हो सके।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत।
6. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या 14618 वर्ष 2022, (**सतन यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**) में, समान प्रकृति की प्रार्थना पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किया था—

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हनी निषाद उर्फ मोहम्मद इमरान उर्फ विक्की बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 8914-8915 वर्ष 2018 में दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 को पारित आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया कि वह एक मामले में प्रस्तुत किए गए व्यक्तिगत बंधपत्र (Personal Bond) तथा प्रतिभुओं (Sureties) को स्वीकार करे और उन्हें अन्य सभी मामलों के लिए भी मान्य माने। उक्त आदेश का प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है—

"पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। कहा गया है कि याचिकाकर्ता विभिन्न अपराधों से संबंधित 31 आपराधिक मामलों में अभियुक्त है।

विचारण न्यायालय ने पृथक-पृथक आदेशों द्वारा सभी 31 मामलों में जमानत प्रदान की, इस शर्त के साथ कि प्रत्येक मामले में दो-दो प्रतिभू प्रस्तुत किए जाएँ।

याचिकाकर्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और यह निवेदन किया कि उसके लिए कुल 62 प्रतिभुओं की व्यवस्था करना असंभव है।

याचिकाकर्ता का यह मामला है कि समान परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.09.2017 के आदेश द्वारा उसे गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले में ₹1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) की राशि के दो प्रतिभुओं पर जमानत प्रदान की थी तथा यह निर्देश दिया था कि वही दोनों प्रतिभू अन्य सभी मामलों में भी मान्य होंगे। साथ ही, याचिकाकर्ता को प्रत्येक मामले में ₹30,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र (Personal Bond) निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था।

किन्तु, आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामलों में विचारण न्यायालय द्वारा आरोपित जमानत की शर्तों में संशोधन करते हुए विचारण न्यायालय को यह निर्देश दिया कि वह सभी मामलों के लिए एक सामान्य (कॉमन) प्रतिभू स्वीकार करे तथा 31 मामलों में प्रत्येक के लिए एक पृथक प्रतिभू स्वीकार करे।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यद्यपि न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जमानत प्रदान कर दी है, तथापि जमानत की कठोर एवं अत्यधिक बोझिल शर्तों, विशेष रूप से 31 प्रतिभू प्रस्तुत करने की शर्त के कारण, याचिकाकर्ता जमानत बंधपत्र निष्पादित करने में असमर्थ है।

प्रस्तुत निवेदनों पर विचार करते हुए, आक्षेपित आदेश में इस सीमा तक संशोधन किया जाता है कि याचिकाकर्ता ₹30,000/-



(केवल तीस हजार रुपये) का एक व्यक्तिगत बंधपत्र (Personal Bond) निष्पादित करेगा और वही बंधपत्र सभी 31 मामलों के लिए मान्य होगा। दो प्रतिभू ₹30,000/- के बंधपत्र निष्पादित करेंगे और वही बंधपत्र भी सभी 31 मामलों के लिए मान्य होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित उक्त व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दोनों प्रतिभूओं द्वारा निष्पादित बंधपत्र सभी 31 मामलों के लिए प्रभावी एवं मान्य रहेंगे।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, विशेष अनुमति याचिकाओं (Special Leave Petitions) का निस्तारण किया जाता है।

यदि कोई लंबित प्रार्थना-पत्र हों, तो उनका भी तदनुसार निस्तारण किया जाता है।"

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त विधिक स्थिति, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि के रूप में स्थापित की जा चुकी है, का कोई प्रतिवाद नहीं किया।

तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया जाता है तथा यह उपबंधित किया जाता है कि आवेदक ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) का एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करेगा और वही व्यक्तिगत बंधपत्र सभी दस मामलों के लिए मान्य होगा। एक प्रतिभू ₹25,000/- का बंधपत्र निष्पादित करेगा और वही बंधपत्र भी सभी दस मामलों के लिए प्रभावी एवं मान्य होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक द्वारा निष्पादित उक्त व्यक्तिगत बंधपत्र तथा एकमात्र प्रतिभू द्वारा निष्पादित बंधपत्र सभी दस मामलों के लिए मान्य रहेंगे। यदि ऐसा किया जाता है, तो उक्त व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभू को उन सभी अन्य मामलों में भी वैध माना जाएगा, जिनमें आवेदक को जमानत प्रदान की जा चुकी है, तथा इसे उन सभी जमानत आदेशों का पर्याप्त अनुपालन माना जाएगा।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या 14618 वर्ष 2022, **सतन यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में पारित आदेश के दृष्टिगत, यह आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है—

- (i) यह उपबंधित किया जाता है कि आवेदक ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) का एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करेगा और वही व्यक्तिगत बंधपत्र उपर्युक्त उल्लिखित सभी छह मामलों के लिए प्रभावी एवं मान्य होगा।



(ii) एक प्रतिभू ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) का बंधपत्र निष्पादित करेगा और वही बंधपत्र भी उपर्युक्त उल्लिखित सभी छह मामलों के लिए प्रभावी एवं मान्य होगा।

(iii) यदि ऐसा किया जाता है, तो उक्त व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभू को उन सभी उपर्युक्त छह मामलों में, जिनमें आवेदक को जमानत प्रदान की जा चुकी है, वैध माना जाएगा तथा इसे संबंधित जमानत आदेशों का पर्याप्त अनुपालन समझा जाएगा।

8. तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

दिनांक : 30 जून, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल)